

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

क्रमांक 1020


विधि/प्रनिबो/2018

भोपाल, दिनांक 11 SEP 2018

परिपत्र

मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-5-5/2009/32 दिनांक 26/6/2018 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 64 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्य प्रदेश नियम 1975 में संशोधन किये गये हैं। उक्त अधिसूचना की सारणी एक अनुसार उद्योगों/संस्थाओं/इकाईयों से स्थापना सम्मति शुल्क कुल लागत का 0.02 प्रतिशत निर्धारित है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे उद्योगों/संस्थाओं/इकाईयों जो पूर्व से कार्यरत हैं तथा उनमें क्षमता विस्तार अथवा उन्नयन संबंधी कार्य के लिये विस्तार क्षमता की स्थापना सम्मति हेतु शुल्क, उपरोक्त कार्य में लगने वाले विनिधान के आधार पर लिया जायेगा।


(ए० ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव,

पृ०क्रमांक/ 1021 /विधि/प्रनिबो/2018
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 11 SEP 2018

- 1 अवर सचिव, म.प्र.शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर अधिसूचना दिनांक 26/6/2018 के तारतम्य में सूचनार्थ।
- 2 समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 3 समस्त आंचलिक/क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।